राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009–10/ 7532-63 जयपुर, दिनांक 1.4

जिला कलेक्टर,
अजमेर,,बांसवाडा, बाड़मेर,, भीलवाड़ा, बीकानेर,, बून्दी, चूरू,
गंगानगर,, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली,राजसमन्द, सीकर, सिरोही,
टोंक।

विषय :– अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण हेतु चारा डिपो स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर **अप्रेल, 2010** हेतु निम्नानुसार चारा डिपो खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम जिला	चारा डिपो की संख्या
1.	अजमेर	300
2.	बांसवाड़ा	10
3.	बाड़मेर	300
4.	भीलवाड़ा	300
5.	बीकानेर	300
6.	बून्दी	35
7.	चूरू	140
8.	गंगानगर	30
9.	हनुमानगढ़	50
10.	जयपुर	40
11.	जैसलमेर	300
12.	जालौर	80
13.	झुन्झुनूं	25
14.	जोधपुर	350
15.	नागौर	75
16.	पाली	150
17.	राजसमन्द	30
18.	सीकर	32
19.	सिरोही	50
20.	टोंक	50
	योग	2647

नोट:– उक्त संख्या पूर्व में (मार्च, 2010 तक) स्वीकृत चारा डिपो की संख्या को शामिल करते हुए है।

अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशो निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जिन जिलों में चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति दी गई है जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चलाये जाने की स्वीकृति दी जाए और यदि उक्त में से कोई ऐजेंन्सी डिपो संचालन हेतु उत्सुक न हो तो जिले में कार्यरत स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से डिपो संचालन की अनुमति प्रदान की जाए।

2. डिपो पर चारा संस्था द्वारा राज्य व पड़ोसी राज्यों से आयात कर वितरित किया जाए तथा चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर किया जाए। चारा वितरण करने से पूर्व चारे की विक्रय दरों का निर्धारण इस विभाग द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई सहायता निर्देशिका में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाए। साथ ही आयात किये जाने वाले चारे पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार परिवहन अनुदान का भुगतान संस्थाओं को किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विक्रय दर निर्धारण करते समय दर में 10 रूपये प्रति क्वि. जोडे जाकर दर का निर्धारण किया जाए तथा इसके अतिरिक्त डिपो संचालक को किसी प्रकार की चारे की छीजत प्रशासनिक व्यय तथा तुलाई इत्यादि की व्यवस्था पर होने वाला व्यय संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।

3. जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन करने वाली संस्था का निरीक्षण तथा पूर्ण सत्यापन व संतुष्टि के पश्चात चारा डिपो स्वीकृति के साथ ही 50,000/– रूपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से अग्रिम (कार्यशील पूँजी) के रूप में ब्याज मुक्त ऋण संस्था को उपलब्ध करावें व इस हेतु राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।

4. जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे का प्रमाणीकरण समय–समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहें तथा क्षेत्र में चारे की मांग को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।

<u>चारा डिपो का निर्धारण एवं निरीक्षण</u>

(i) चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, ऐसा अधिकारी अति.कलेक्टर के स्तर से कम का नहीं हो।

(ii) चारा डिपो का निरीक्षण जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि द्वारा 15 दिन में एक बार अवश्य किया जाए तथा निरीक्षण रिपोर्ट सहायता विभाग को भिजवाई जाए।

(iii) चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरपंच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जाए।

(iv) कय किये गये चारे के संबंध में धर्मकांटा तोल की रसीदों का प्रमाणिकरण तथा परिवहन के संबंध में कार्य में लिये गये वाहनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न प्रपत्र में तैयार करवाकर रिकार्ड में रखा जावे।

<u>चारा डिपो के निरीक्षण बाबत</u>

चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का समय समय पर जिला कलेक्टर/ अति. जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से सुनिश्चित किये जाए ।

1. तहसीलदार/विकास अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रों में संचालित केन्द्रों में से कम से कम 25 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जाए।

2 उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड में संचालित केन्द्रों में से कम से कम 10 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जाए।

3 अतिरिक्त कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा सम्मिलित रूप से जिले में संचालित 5 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जाए।

4 जिला कलेक्टर द्वारा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु कोई प्रतिशत तय नहीं किया गया है किन्तु राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि वे भी अधिक से अधिक केन्द्रों का निरीक्षण करें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चारा डिपो का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

31/3/10

शासन सचिव